



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि/1/2004.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे :

“(गक) ‘समूह’ से :

(i) ऐसे दो या अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों का संगम, फर्श, न्यास, न्यासी या निगमित निकाय (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनका ऐसा कोई मिला-जुला

रूप, जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण रखता है या जिसे ऐसा नियंत्रण रखने की स्थिति में बनाने के लिए स्थापित किया गया है, या

(ii) ऐसे सहबद्ध व्यक्ति, अभिप्रेत हैं,

जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त दिशा-निर्देश जारी करके विहित किया जाए।

(गख) 'वित्तीय व्युत्पत्तियों' से प्रतिभूति सविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन परिभाषित कोई व्युत्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई सविदा भी है, जो आधारीक ऋण प्रतिभूतियों की ब्याज दरों से मूल्य प्राप्त करती है और ऐसी अन्य व्युत्पत्ति सविदाएं भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित की जाएं।"

3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अंत में लगे विद्यमान टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"2. ऊपर सारणी में उल्लिखित उदमासन सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी नियंत्रित निधियों के कुल के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा या ऐसी गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनियों की दशा में, जो प्रवर्तक समूहों की हैं, उसकी कुल आस्तियों के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'समूह' का वही अर्थ है, जो इन विनियमों के अधीन परिभाषित है। इस प्रवर्ग के सभी निवेशों को विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।"

4. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विद्यमान विनियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"6. बीमाकर्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक बीमाकर्ता, प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियां, ऐसे समय के भीतर, ऐसे अंतरालों पर और जो ऐसी रीति में, सत्यापित/प्रमाणित होंगी, जो उनके सामने उपदर्शित हैं।

सं.	प्ररूप सं.	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
1.	प्ररूप 1	निवेशों और निवेशों से आय का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
2.	प्ररूप 2	डाउनग्रेडिड निवेशों का विवरण	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश
3.	प्ररूप 3क	नियंत्रित निधि (जीवन) के निवेश का विवरण- अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/ मुख्य निवेश

सं.	प्ररूप सं०	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
4.	प्ररूप 3ख	कुल आस्तियों (साधारण) के निवेश का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
5.	प्ररूप 3ग	"ए" या "एए" ग्रेड का अनुपालन न करने वाली लिखतों पर अपवाद रिपोर्ट-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
6.	प्ररूप 4	उदभासन/विवेकपूर्ण निवेश सैनियम-अनुपालन रिपोर्ट	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
7.	प्ररूप 4क	उदभाजन सैनियमों के अधीन निवेशों का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
8.	प्ररूप 5	निवेश समन्वय का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
9.	प्ररूप 5क	परस्पर निधि निवेशों का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
10.	प्ररूप 6	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क), 28(2ख) और 28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
11.	प्ररूप 7	निवेश पोर्टफोलियों ब्यौरों की पुष्टि	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश

5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा :-

"11. वित्तीय व्युत्पत्तियों में ब्यौहार-(1) जीवन बीमा या साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता अनुज्ञात सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय व्युत्पत्तियों में ब्यौहार कर सकेगा।

(2) किसी बीमाकर्ता द्वारा वित्तीय व्युत्पत्तियों के संबंध में संदत्त कोई अंतर या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलनपत्र आस्ति स्थिति के रूप में उपदर्शित हैं, केवल उस सीमा तक, जहां

तक व्युत्पत्तियों की स्थिति आधारिक निवेश या पोर्टफोलियो के लिए घेरा बनाती है, जिसे स्वयं इन विनियमों के अधीन अनुमोदित निवेश माना जाता है, इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन "अनुमोदित निवेश" माना जाएगा। अन्य सभी संदत्त अंतरों या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलन पत्र में उपदर्शित हैं, "अनुमोदित निवेशों से भिन्न" माना जाएगा।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 की मद (ख) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (ii)क के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"(ii)क) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।"

7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 2 की मद ख में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (ii)क के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा :

"(ii)क) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।"

8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3क, प्ररूप 3ख और प्ररूप 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

प्ररूप-1

कंपनी का नाम और कोड

तारीख..... को विवरण

आय और निवेश से आय का विवरण

प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

निधि का नाम \_\_\_\_\_

सं०	निवेशों की वर्ग	वर्ग कोड	चालू वर्ष				पूर्व वर्ष				
			निवेश (रुपए)	निवेश से आय (रुपए)	सकल प्राप्ति (%) <sup>1</sup>	शुद्ध प्राप्ति(%) <sup>2</sup>	निवेश (रुपए)	निवेश से आय (रुपए)	सकल प्राप्ति (%) <sup>1</sup>	शुद्ध प्राप्ति(%) <sup>2</sup>	

योग

प्रमाणिकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है और कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पूरा नाम और पद \_\_\_\_\_

तारीख

टिप्पण : निवेश का वर्ग दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा

<sup>1</sup>इसकी संगणना बीविविप्रा (बीमांकिक रिपोर्ट) विनियम 2000 की धारा 5(1) में विहित किए गए अनुसार वार्षिक आधार पर की जानी है

<sup>2</sup>कर के लिए शुद्ध की गई प्राप्ति

<sup>3</sup>जीवन बीमा कारवार की दशा में, प्ररूप-1 प्रत्येक निधि की बाबत तैयार किया जाएगा



प्ररूप-3क

कंपनी का नाम और कोड

तारीख... को विवरण

निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-क

लाख रुपए में

निवेश आस्तियाँ	रजि. के अनुसार	एसएच	पीएच		योग (एसएच+ पीएच)	वास्तविक%	बाजार/ धमूलनीय मूल्य
			घर	गैर घर			
<b>अ. जीवन निधि</b>							
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	25%						
2. सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपरोक्त सहित)	50% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश							
<b>क. अवसरचना और सामाजिक क्षेत्र</b>							
(i) अवसरचना	15% से कम नहीं						
(ii) सामाजिक क्षेत्र							
<b>ख. (i) अन्य-उद्घासन सैनियमों द्वारा शासित</b>							
(ii) उपरोक्त 35% में से -" अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेशों" में निवेश की गई राशि 15% से अधिक नहीं होगी	35% से अधिक नहीं						

कुल जीवन निधि

100%

<b>आ. पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि</b>							
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
2. सरकारी प्रतिभूतियाँ और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपरोक्त सहित)	20% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	40% से कम नहीं						

कुल पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि

100%

<b>इ. समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर</b>							
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
2. सरकारी प्रतिभूतियाँ अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (उपरोक्त सहित)	20% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	40% से कम नहीं						

कुल समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर

100%

<b>ई. सहबद्ध जीवन बीमा निधि</b>							
1. अनुमोदित निवेश	रजि. के अनुसार प्रतिशत						
2. अनुमोदित निवेश से भिन्न	75% से कम नहीं						
कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि	25% से अधिक नहीं						
<b>कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि</b>							
100%							

**प्रमाणिकरण**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना में दी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पण : प्ररूप 3क (भाग-क) के तुलन पत्र को तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

## प्ररूप-3क

कंपनी का नाम और कोड  
 तारीख..... को विवरण  
 गैर-निवेश आस्तियों का विवरण  
 (भारत के भीतर कारबार)  
 प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-ख

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यो को अग्रिम/उत्तम निक्षेप			
6. अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्ता अतिशेष			
14. अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्ता बकाया			
16. अनुषंगियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंतः कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करे)			

## प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए व्यौरे अनुसूची में दिए जाएंगे और उसका उल्लेख "अनुसूची निर्देश" के अधीन किया जा सकता है।

## प्ररूप-3ख

कंपनी का नाम और कोड  
तारीख..... को विवरण  
निवेश आस्तियों का विवरण  
(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-क

लाख रुपए में

	निवेश आस्तियां	प्रतिशत	रजि. के अनुसार प्रतिशत		योग (एसएच+ पीएच)	%वार्षिक	बाजार मूल्य
			एसएच	पीएच			
1.	केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं					
2.	सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां (उपरोक्त) सहित	30% से कम नहीं					
3.	गृह निर्माण और गृह निर्माण तथा अग्निशमन उपकरणों के लिए एसजी को ऋण	5% से कम नहीं					
4.	अनुमोदित निवेश						
क.	अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र						
	(i) अवसंरचना	10%से					
	(ii) सामाजिक क्षेत्र	कम नहीं					
ख.	(i) अन्य-उद्भासन सनियमों द्वारा शासित	55%से अधिक नहीं					
	(ii) उपरोक्त 55% में से -"अनुमोदित निवेशों से भिन्न" में किए गए निवेश 25% से अधिक नहीं होंगे						
	कुल जीवन निधि	100%					

## प्रमाणीकरण

यह प्रमाणीकरण किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है  
तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पण : प्ररूप 3ख (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न  
किया जाएगा।

## प्ररूप-3क

कंपनी का नाम और कोड

तारीख..... को विवरण

गैर-निवेश आस्तियों का विवरण

(भारत के भीतर कारबार)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6. अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निर्देशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्ता अतिशेष			
14. अन्य बोमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्ता बकाया			
16. अनुषंगियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंत: कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

## प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शोधों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए ब्यौरे अनुसूची में दिए जाएंगे और उसका उल्लेख "अनुसूची निर्देश" के अधीन किया जा सकता है।

लाख रुपए में

प्ररूप-37  
 कंपनी का नाम और कोड  
 तारीख..... के विवरण  
 रेट किए जाने योग्य और "ए" ग्रेड के अनुरूप तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण  
 लिखतों की रेशा में "एए" ग्रेड के अनुरूप-अनुपालन रिपोर्ट  
 प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

क. जीवन निधि

सं.	निवेश की विशेषियाँ	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ख. पेंशन और साधारण वार्षिकी निधि

सं.	निवेश की विशेषियाँ	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ग. यूनिट संबद्ध जीवन बीमा निधि

सं.	निवेश की विशेषियाँ	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

घ. साधारण बीमा कारवार

सं.	निवेश की विशेषियाँ	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अभिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही  
 और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख:

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
 पूरा नाम और पद \_\_\_\_\_

टिप्पण : "प्रवर्ग कोड" दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।



प्ररूप-5  
कंपनी का नाम और कोड  
तारीख..... के विवरण  
(भारत में कारबार)  
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम: \_\_\_\_\_

लाख रूप में

स्तंभ	निवेश का प्रवर्ग	प्रवर्ग कोड	प्रारंभिक अतिशेष		अवधि के दौरान क्रय		अवधि के दौरान विक्रय		समायोजन		अंतिम अतिशेष	
			अंकित मूल्य	बढ़ी मूल्य	अंकित मूल्य	बढ़ी मूल्य	अंकित मूल्य	बढ़ी मूल्य	अंकित मूल्य	बढ़ी मूल्य		
क.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ											
ख.	राज्य सरकार को/अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/अन्य प्रत्यक्ष प्रतिभूतियाँ								योग (क)			
ग.	गृह निर्माण क्षेत्र निवेश								योग (ख)			
घ.	अवसंरचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश								1. योग (क+ख)			
ङ.	उत्पादन सौधनों के आगीन निवेश								योग (ग)			
च.	अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेश								योग (घ)			
									2. योग (ग+घ)			
									योग (च)			
									3. योग (ङ+च)			

**प्रमाणिकरण**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दो गई सूचना में से सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरूद्ध नहीं किया गया है।

**तारीख:**

दिनांक : क. प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अधीन व्यक्तिगत प्रवर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

ख. जीवन बीमा कारबार की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्ररूप-5 तैयार किया जाएगा।

ग. समायोजन स्तंभ में आने वाले सभी आंकड़ों के संव्यवहार के व्योरे इस विवरण के उपाबंध के रूप में दिए जाने चाहिए।

घ. प्ररूप-5 का प्रत्येक कुल योग प्ररूप-3ख के भाग-क के तत्स्थानी भाग से जोड़ा जाएगा।

ङ. "प्रवर्ग कोड" दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

हस्ताक्षर  
पूरा नाम और पद

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



प्ररूप-6

कंपनी का नाम और कोड  
तारीख.... को

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क)/28(2ख)/28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र  
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

निधि का नाम \_\_\_\_\_

लाख रुपए में

निवेश विशिष्टियाँ	निम्नलिखित की अभिरक्षा में					
	बैंक (रुपए)*		स्व रुपए		अन्य (रुपए)*	योग (रुपए)
	शेयर धारक	पालिसीधारक	शेयर धारक	पालिसीधारक		
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ						
केन्द्रीय सरकार की और अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियाँ						
गृह निर्माण और राज्य सरकारों को गृह निर्माण के लिए ऋण						
अवसंचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश						
अनुमोदित निवेश						
अनुमोदित निवेश से भिन्न						

योग

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त तारीख को ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों को किसी ऋणधार, प्रधार, भागक्रांति या ग्रहणाधिकार से मुक्त रूप में धारित है

अध्यक्ष

प्रधान अधिकारी

निदेशक

टिप्पण :

प्रतिभूतियों के मूल्य को अपर्युक्त तारीख वहनीय लागत पर उपदर्शित किया जाना है।

\*बहियों और अभिक्षक/अन्य प्रमाणपत्र के बीच अंतर को स्पष्टीकरण देने के लिए समन्वय विवरण संलग्न किया जाएगा।

1. जीवन बीमा कारवार को दशा में, प्रत्येक निधि को बाबत प्ररूप-6 डेब्यार किया जाएगा।

प्ररूप-7

कंपनी का नाम और कोड

तारीख... को विवरण

निवेश पोर्टफोलियो ब्यौरो की पुष्टि

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

सं.	वर्णन	पुष्टि (हां/नहीं)
1.	ऐसे अनुमोदित निवेशों/अन्य निवेशों के ब्यौरे, जो संदाय के लिए परिपक्व हैं और परिपक्वता राशि बकाया है, व्यतिक्रमी राशि की विशिष्टियों और उस अवधि के साथ, जिसके दौरान उक्त व्यतिक्रम जारी रहा है :	
2.	(1) पर का ऐसा कोई निवेश, जिसे परिपक्वता के पश्चात वापस लिया गया है :	
3.	ऐसे निवेशों की बाबत, जहां आवधिक आय शोष्य हो गई है, व्यतिक्रम में के ब्याज संदाय के ब्यौरे, ऐसे अवधि के साथ, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहा है।	
4.	व्यतिक्रमी राशियों के वसूली के लिए किए गए उपायों के और लेखाओं में ऐसे व्यतिक्रमों के लिए किए गए/प्रस्तावित प्रावधानों के ब्यौरे	

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : यदि कोई पुष्टि हां में है तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रबोध चन्द्र, पदाभिहित अधिकारी